125

संख्या– 296 /VI-2/2015–04(05)04

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांक 30 मार्च,2015

विषयः–सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, देहरादून में अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0, देहरादून के पत्र संख्या–सी0एस0आई0/40/2015, दिनांक 15 जनवरी, 2015 तथा आपके पत्र संख्या–1284/सि0सर्वि0पत्रा0/14–15/दे0दून, दिनांक 03 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के थानी गांव में नवनिर्मित सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत लागत रू0 150.31 लाख (सिविल कार्यों हेतु रू0 40.19 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु रू0 110.12 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के संगत मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 50.00 लाख आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानत्रित पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. विस्तृत स्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन(केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. कार्यों/सेवाओं हेतु अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/–

Letter section/

10. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

15. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजिगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–00–06–सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना–24–वृहत निर्माण कार्य मद आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–493(पी)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

Letter section/

पृष्ठांकन संख्या– 926(i)/VI-2/2015–04(05)04 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
7. ईकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, गोलापार, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ~~एन0आई0सी0 देहरादून।~~
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Letter section/